KHAN GLOBAL STUDIES
Kisan Cold Storage, Campus, Mussallahpur,Patna - 06
Mob. : 8877918018, 8757354880

BPSC

संभावित निबंध

with Model Answer

Part 2

By : Dharmendra Sir
के निर्देशन में

संभावित निबंध

क्रम. सं०	निबंध का नाम	पेज. सं०
1.	यदि हमें भविष्य के विनाश से बचना है तो विकास की दिशा को बदलना होगा	03-04
2.	''नैतिकताविहीन धर्म आत्मारहित शरीर के समान है।''	05-06
3.	''तन के भूगोल से परे एक स्त्री के मन की गाँठ खोलकर कभी पढ़ा है तुमने''	07-08
4.	''समस्याग्रस्त विश्व के लिए गांधीवादी विचारधारा की प्रांसगिकता''	09-10
5.	''भारतीय संस्कृति आज : एक मिथक या एक वास्तविकता''	11-12
6.	भारत में न्यायिक सुधार : चुनौतियाँ व सुधार	13
7.	विज्ञान व धर्म- परस्पर विरोध या पूरकता	14
8.	समावेशी विकास : चुनौति व समाधान	15
9.	परमार्थ में ही मानव जीवन की सार्थकता है।	16
10.	कृत्रिम बुद्धि : भविष्य का द्वार या संकटों का आमंत्रण	17
11.	रचनात्मक चिंतन सफलता का प्रथम सोपान है।	18
12.	''अन्नदाता का उद्धार किसी दया में नहीं बल्कि नवाचार में है।''	19-20

❖❖❖

1. यदि हमें भविष्य के विनाश से बचना है तो विकास की दिशा को बदलना होगा

जब आखिरी नदी का पानी भी जहरीला हो जाएगा, जब आखिरी पेड़ भी काट दिया जाएगा, जब आखिरी मछली भी खत्म हो जाएगी तब इन्सान को एहसास होगा कि वह पैसे नही खा सकता।

वर्तमान विकास के असंधारणीय तरीके को देखकर लगता है कि यह कल्पना जल्द ही हकीकत में बदल जाएगी। क्या वर्तमान विकास का सच में ऐसा डरा देने वाला अंजाम हो सकता है? इसके लिए एक उदाहरण पर विचार करते हैं। कुछ साल पहले उत्तराखण्ड में विकास के नाम पर इमारतों, सड़कों, व कई परियोजनाओं का निर्माण शुरू किया गया। विकास का कार्य इस प्रकार था मानों मानव अपने इस रचनात्मकता पर गर्व कर सके। लेकिन कुछ समय बाद ही प्रकृति अपना विकराल रूप दिखाती है और स्वर्ग सा वह दृश्य एक जर्जर नरक मे बदल जाता है। विकास का यह परिणाम आज उत्तराखण्ड में ही नहीं विश्व के हर देश में देखा जा सकता है। तो मन मे एक सवाल उठता है कि क्या विकास को रोक दे ? जिस हाल में हैं उसे नियति मान स्वीकार कर ले? या फिर विकास को इसी अंधाधूध गति से जारी रखे चाहे परिणाम कुछ भी हो? या फिर विकास के नए मार्ग का विचार करें ?

इन सभी सवालों के जवाब के लिए हमें एक समग्र विश्लेषण की आवश्यकता है। सर्वप्रथम हमें ये देखना होगा कि वर्तमान विकास का ऐसा क्या प्रभाव हुआ है। जो इसके तरीके को बदलने की आवश्कता हो रही है। कुछ प्रभाव तो उपर्युक्त उदाहरणों से परिलक्षित हो रहे हैं विकास की वर्तमान रूप ने हर क्षेत्र में विषमता पैदा करदी है। विश्व का विभाजन भी विकासशील व विकसित देश के रूप में हो चुका है। देश भी शहर ग्रामीण, अमीर-गरीब आदि के रूप में विभाजित हो रहे है।

असमानता के अतिरिक्त वर्तमान में संसाधन दोहन भी अधांधून रूप से जारी है। विकास के इसी रूप ने जलवायु परिवर्तन को एक विकट समस्या के रूप मे पैदा किया है।

समुद्र स्तर का बढ़ना हो या नदियों का सूखना, हिमानियों का पिघलना हो या वनस्पतियों का विलुप्त होना, जीवों के अस्तित्व को संकट हो या विभिन्न आपदाओं की बारंबारता ये सब वर्तमान विकास के ही प्रभाव है। आखिर विकास के इस प्रभाव को देखकर मन मैं सवाल उठता है ऐसा विकास अपनाने का कारण क्या है?

जंगल, पेड़, पहाड़, समंदर
इंसा सब कुछ काट रहा है।
छील-छील कर खाल भूमि की
कतरा-कतरा बाँट रहा है।

आवश्यकता आविष्कार की जननी रही है। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप आविष्कार कर विकास किया। प्रारम्भ मे यह विकास प्रकृति के उत्पादन दर से संतुलित रहा। मगर औद्योगिक क्रांति के बाद तो मानों विकास ने जैसे हवाई गति ही पकड़ ली हो। इंसान की बढ़ती इच्छाओं, भौतिकवाद, एकत्रित करने की प्रवृति ने वर्तमान विकास की माँग को बनाए रखा। देशों मे आर्थिक विकास की होड़, शस्त्रों की होड़ आदि तो मानो आग में घी डालने का काम कर रही।

तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता, बढती जनसंख्या, सीमित संसाध न आपसी तनाव से निपटने के लिए सुरक्षा की आवश्यकता, भूमि कमी, आदि से वर्तमान विकास की आवश्यकता का का कारण है लेकिन उपर्युक्त विश्लेषण से इतना तो स्पष्ट हो चुका है यह तरीका से ज्यादा समय तक प्रभावी नही हो सकता। तो फिर मे मन एक सवाल आता है कि विकास कैसा हो ? उसका क्या तरीका हो कि वर्तमान समस्याओं का निपटान किया जा सकता है सके ?

''गांधी जी के अनुसार पृथ्वी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है इच्छाओ का नहीं।''

अत: सर्वप्रथम तो हमे अपनी असीमित ईच्छाओं को कम करने की आवश्यकता है। हमें सिर्फ अपने लिए ही नहीं, वरन् हमारी आगामी पीढ़ी के लिए विकास का संधारणीय रूप सुनिश्चित करना होगा।

इसके लिए राष्ट्रों को आधुनिकीकरण की होड़ में शामिल होने की जगह अपने राष्ट्र के समावेशी व सतत विकास पर ध्यान देना होगा। राजनैतिक इच्छाशक्तियों में कमी लाकर विश्व में एक सहयोग के दृष्टिकोण की आवश्यकता है। साथ ही जरूरी है कि विकसित देश सतत विकास प्राप्ति में अल्प विकसित देश, विकासशील देशों की सहायता करें।

आर्थिक विकास की पूर्ति के लिए स्वच्छ तकनीकों का प्रयोग हो यथा नवीकरणीय ऊर्जा (सौर, पवन, ज्वारीय), इलैक्ट्रिक व्हीकल, संसाधन का उचित दोहन व वितरण, सभी वर्गो (अमीर-गरीब, पुरुष - स्त्री, शहरी-ग्रामीण) की संसाधन तक समान पंहुच, कम्पनियों पर CSR दायित्व, अपशिष्ट निपटान इत्यादि । आर्थिक विकास का मॉडल चक्रीय अर्थव्यवस्था का हो (यूज - रियूज, रिपेयर - रिसाइकल) तथा टेक मैक थ्रो अवे की संस्कृति पर रोक लगाने की आवश्यकता है। वर्तमान मे समाज की भागीदारी भी महत्व भूमिका निभा सकती है।

हमे बौद्ध के बहुजन हिताय'', महावीर के' सभी जीवों के प्रति कल्याण'', नानक के' सरबत दा भला', मोहम्मद के' बंधुजन प्रेम'

तथा गांधी के सर्वोदय दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है। समाज मे परिवार, शिक्षक आदि द्वारा बचपन से ही बच्चों में पर्यावरण के प्रति आदर, सभी जीवों के लिए प्रेम को मूल्य को विकसित करना चाहिए।

वर्तमान मे पर्यावरण संरक्षण व विकास मे प्रतिस्पर्धा की जगह संतुलन का दृष्टिकोण रखना आवश्यक है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन मे कमी, प्लास्टिक को प्रयोग कम, अपशिष्ट के उचित निपटान, जल का सतत उपयोग, भूजल का उचित प्रबन्धन, कृषि का संधारणीय तरीका अपनाकर पर्यावरण सरंक्षण व विकास, गाड़ी के दो पहियों की भूमिका निभा सकते हैं।

सभी जीवों के साथ सहअस्तित्व, मानव पशु संघर्ष में कमी, जैव विविधता को बनाए रखकर विकास किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यक है कि विश्व में जलवायु परिवर्तन, जैव सरक्षण, मरुस्थलीकरण, वैटलैंड, जल सरंक्षण, समुद्र सरंक्षण आदि पर एक स्पष्ट रणनीति हो ।

इसके लिए जनजातियों की पद्धति यथा विश्नोई सम्प्रदाय की हिरण की सुरक्षा आंध्रप्रदेश की चेंचू जनजाति, अरुणाचल प्रदेश की मिश्मी आदि का अनुसरण किया जाना चाहिए जिसमें पर्यावरण के प्रति सम्मान की भावना हो।

तुम्हारे दिल की चुभन भी कम होगी,
किसी के पाँव का काँटा निकालकर तो देखे॥

अर्थात सभी जीवों के प्रति करुणा के भाव की आवश्यकता है। हालांकि विश्व में विकास को के तरीके को बदलने के प्रयास शुरू किए जा चुके है। सर्वप्रथम प्रयास बर्टलैण्ड कमीशन द्वारा सतत विकास की अवधारणा रखकर शुरू किया गया। इसके पश्चात रियो सम्मेलन मे UNFCC, UNCBD, UNCCD के क्रियान्वयन की नींव रखी गई। इसके अतिरिक्त मॉन्ट्रियल व किगाली प्रोटोकॉल, बेसल, रॉटरडम, स्टॉकहोम कन्वेंशन, मीनामाता कन्वेंशन, होनोलूलू रणनीति की शुरू की गई। रामसर कन्वेंशन, पीटलैंड इनिशिएटिव, ग्रेट पैसेफिक गार्बेज के लिए ओसियन क्लीन अप, UNEP का #Clean Sea अभियान इसी दिशा में सराहनीय कदम है। पेरिस सम्मेलन मे राष्ट्र लक्ष्य निर्धारण (NDC) आदि विभिन्न राष्ट्रों की प्रतिबद्धता को व्यक्त करता है। कार्टजेना व नगोया प्रोटोकॉल जैव विविधता के लिए उठाए गए कदमों मे से एक है।

भारत में हमेशा धरती को माता की संज्ञा दी गई है। विभिन्न नदियों को देवी की संज्ञा, पेड़ पौधो की पूजा, जीवों से सम्बन्ध भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। भारत द्वारा भी विकास के तरीके को बदलने के लिए कई उपाय अपनाए जा रहे है। यह पेरिस के INDC के लक्ष्य हो या नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने का दृष्टिकोण, ISA का निर्माण हो या द्वीपीय देशों का संरक्षण, समावेशी विकास के लिए योजनाएँ (मनरेगा, स्किल इंडिया, PMJDY, स्टैण्ड अप, मुद्रा) हो या जीवों का संरक्षण (राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, NGT), प्रदूषण पर कार्यवाही हो या कार्बन सिंक निर्माण आदि के माध्यम से अपने विकास के तरीके को बदल रहा है।

2008 में NAPCC कार्य योजना निर्माण, विभिन्न विधिक प्रावधान (पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वनाधिकार अधिनियम, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, समावेशी विकास की योजनाएँ, आपदा प्रबंधन तंत्र, क्षेत्रीय असमानता कमी, सतत विकास लक्ष्य (SDG) को प्राप्ति के लिए किए गए सराहनीय कदम है।

लेकिन भारत व विश्व के ये कदम अभी भी पर्याप्त नही है। IPCC की 1.5 रिपोर्ट के अनुसार से वर्तमान गति पर विकास औद्योगिक क्रांति से तापमान को 21 वीं सदी के अंत तक 2°C तक बढ़ा देंगे। जिससे विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। कई देश यथा मालदीव, फिजी तो डूब भी जाएंगे।

अत: उपर्युक्त उपायों के अतिरिक्त सभी देशों के उत्तरदायित्व का निर्धारण व UN द्वारा एक स्पष्ट व समग्र रणनीति तंत्र बनाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त जागरुकता, वनारोपण, जल सरंक्षण, संधारणीय उपाय आदि को बढ़ावा देने की आवश्यकता है तथा ऐसी तकनीक विकसित करने के लिए अनुसंधान व विकास को बढ़ावा देना चाहिए। समाज को जनसंख्या नियंत्रण के प्रति एक स्पष्ट रवैया अपनाना चाहिए।

अत: विकास ऐसा हो कि वो मानव सभ्यता को आगे ले जाए न कि विनाश की ओर। स्पष्ट है कि अगर हमे अपने भविष्य को बचाना है तो विकास की दिशा को बदलना होगा और ये विकास ऐसा हो कि हम कह सके-

सर्वे भवन्तु सुखिनः।
सर्वे सन्तु निरामयाः ॥
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु।
मा कश्चिद दुःख भाग्भवेत॥

❑❑❑

2. ''नैतिकताविहीन धर्म आत्मारहित शरीर के समान है।''

हम बचपन से ही इन संदेशों, गीतों को सुनते आए हैं कि **''मजहब नही सीखाता इन्सानों को आपस में बैर करना''**

मगर वर्तमान मे हो रहे दंगों, साम्प्रादायिक घटनाओं (गोधरा, मेरठ, कश्मीर, असम दंगो), आतंकवादी हमलो (अमेरिका टिवन् टावर हमला, न्यूजीलैण्ड) हमला, मुंबई हमला), आदि को देखकर प्राय यही तंज कसा जाता है कि

''मजहब ही सीखाता है इन्सानों को बैर करना''

उपर्युक्त परिदृश्य को देखकर मन में सवाल उठता है कि ऐसा क्या है जो कि जो धर्म के दो रूपों को प्रदर्शित कर रहा है ? क्या है जो एक तरफ धर्म को इतना उदार बना रहा तो दूसरी तरफ इतना हिंसात्मक ? क्या है जो विभिन्न धर्मों के उद्देश्यों को प्रभावित कर रहा है। इन सबका जवाब मिलता है **''नैतिकता''**

''नैतिकता विहीन धर्म आत्मारहित शरीर के समान है''। नैतिकता से तात्पर्य सामान्य व्यक्ति के ऐच्छिक कर्मों को उचित या अनुचित दृष्टिकोण के आधार पर सार्वभौमिक नियम का अनुपालन का निर्माण करना व उनको व्यवहारिक जीवन लागू करना है।

वस्तुत: सभी धर्मों के दो दृष्टिकोण होते हैं। नैतिक दृष्टिकोण व वर्तमान का दृष्टिकोण। धर्म का नैतिक दृष्टिकोण सभी धर्मो में परस्पर प्रेम, शांति, सद्भावना, सहयोग जैसे मूल्यों का समावेश करता है वही वर्तमान दृष्टिकोण- कर्मकाण्ड, पूजा पाठ, मंदिर-मस्जिद-गिरिजाघर निर्माण जैसे तत्वों पर बल देता है।

जिस तरह आत्मा के बिना शरीर सिर्फ एक जिंदा लाश बनकर रह जाता है वैसे ही वही नैतिकता के बिना धर्म भी सिर्फ जाति-धर्म भेदभाव, कर्मकाण्ड व्यवस्था, अंधविश्वास का साधन मात्र बनकर रह जाता है। क्योंकि-

'नैतिकता ही है जो पशु व मानव मे विभेद करती है।''

एक सवाल यह भी उठता है कि क्या नैतिकता व धर्म का अलग -अलग अस्तित्व संभव हो सकता है?

धर्म में अगर नैतिकता न रही तो वह अफीम के नशे के समान होगा जिसके सेवन से विश्व रूपी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बुरा असर होगा और परिणाम मे देखने को मिलेंगे **आतंकवादी हमले, मनुष्य का मनुष्य के प्रति द्वेष, नस्लीय-जातीय लिंग संबंधी भेदभाव।**

धर्म में नैतिकता के अभाव से विभिन्न अमानवीय कृत्यों यथा पशुबलि, नरबलि, सतीप्रथा, तलाक, भ्रूण हत्या, लिंग भेदभाव, सामाजिक असमानता, शोषण, जैसे कृत्यों का समावेश हुआ था।

वही धर्मों में नैतिकता के समावेश क से श्सर्वधर्म समभाव, बहुजनहिताय, सरबत दा भला, प्रकृति को माता, अनुचित ब्याज को गलत, जीवो के प्रति दया, नारी को देवी, जैसे मूल्यों का समावेशन हुया।

अत: नैतिकता विहीन धर्म एक ऐसा हथियार है। है जो सम्पूर्ण विश्व को खत्म करते क्षमता रखता है।

दूसरा सवाल यह उठता है कि जब धर्म से इतनी ही समस्याएँ पैदा होती है तो इसकी आवश्यकता ही क्या है? क्या सिर्फ नैतिकता से ही विश्व कल्याण नही हो सकता ? नैतिकता ही काफी नही है?

इसके लिए हमे दो पक्षों को पर ध्यान देना होगा। ऐसे अनेको व्यक्ति हुए जिन्होने सिर्फ नैतिकता को माना और वो नास्तिक थे यथा भगत सिंह। उनकी ''मै नास्तिक क्यों हूँ'' पुस्तक बड़े-बड़े धर्मशास्त्रों को चुनौति देता है।

लेकिन कुछ अपवादों को छोड़ दे तो हम पाएंगे कि नैतिकता में मूल्य तो होता है लेकिन एक धर्म के अभाव में व्यक्ति उनका पालन अपने समावेशन आवश्यकता, स्थिति, बुद्धि के अनुसार करता है। तो कई परिणामों में यह देखा जाता है जब नैतिक दुविधा हो तो व्यक्ति संकट की अवस्था में होता है। और वह निर्णय अपनी आवश्यकता अनुरूप करता है जो कि संभव है कि नैतिक रूप से उचित न भी हो।

यथा एक सिविल सेवक जिसकी धर्म मे आस्था न हो तथा किसी स्थिति में उसके निजी मूल्य व सामुदायिक हित टकराव में हो (यथा परिवार, मारने की धमकी) तब निर्णय में परिवर्तन आ सकता है।

इसी दुविधा में सहायता करता है धर्म। यह व्यक्ति के कार्यों को निर्देश देता है तथा हर किसी परिस्थिति में धर्म पालन को प्रेरित करता है। तभी तो हम देखते है कि व्यक्ति धर्म के लिए अपने जान तक न्यौछावर कर देते है। आवश्यकता है तो सिर्फ इस धर्म को नैतिक बनाने की। महात्मा गांधी भी इसी नैतिकता आधारित धर्म की पैरवी करते हैं।

वर्तमान जनसंख्या का अधिकांश भाग धर्म में आस्था रखता है अत: इस व्यवस्था में परिवर्तन की बजाय आवश्यकता यह है कि ध र्मो में नैतिकता समावेश हो । अत: धर्म व नैतिकता एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी होकर एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। अर्थात एक शरीर तो एक आत्मा जिससे सभी जीवों का कल्याण हो सके।

धर्म में नैतिकता के सभी आयोगों यथा पर्यावरणीय, चिकित्सीय, मानवीय मूल्यों का समावेश होगा तो विभिन्न धर्म उतने ही समृद्ध होगें। स्वामी विवेकानंद गांधीजी, विनोबा भावे, टैगोर, सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, काँट आदि ने इसी धर्म की व्याख्या की है।

धर्म में नैतिकता के प्रवेश से वर्तमान के विभिन्न मसलों का समाधान किया जा सकता है यथा शरणार्थी मुद्दे, जलवायु परिवर्तन, विश्व व्यापार विरूपण, बढ़ते अस्त्र शस्त्र, आतंकवाद अलगाववाद उग्रवाद, वैश्वीकरण, अंतरिक्ष प्रयोग, व्यापक असमानता, साम्प्रदायिक दंगे और वह दिन दूर नहीं होगा जब अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक, आर्कटिक से अंकटिक तक सर्वत्र शांति विद्यमान होगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक राम-रहीम-रहमान एक साथ सद्भावना से रहेंगे।

इस प्रकार धर्म की दोधारी तलवार का नियंत्रण करने के लिए आवश्यक है कि इसमें नैतिकता का समावेश हो। क्योंकि जैसे आत्मा के को शरीर मे परिवेश से मनुष्य मे स्फूर्ति का संचार होता है। वैसे ही नैतिकता के सद्गुणों का धर्म में प्रवेश से धर्म भी समृद्ध होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि

''नैतिकता विहीन धर्म आत्मारहित शरीर के समान है।''

❑❑❑

KHAN GLOBAL STUDIES
Kisan Cold Storage Campus, Musallahpur, Patna-6
KHAN SIR

3. ''तन के भूगोल से परे एक स्त्री के मन की गाँठे खोलकर कभी पढ़ा है तुमने''

''स्त्री पैदा नही होती, बनाई जाती है।'' सिमोन द बुआर द्वारा दी गई यह पंक्ति ऐतिहासिक तथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्त्री की स्थिति का एक मर्म सटीक वर्णन है।

सीमा जो एक बहुत ही समझदार व होशियार लड़की है। स्नातक की पढाई पूरी होने के बाद वह दिल्ली जाकर BPSC की पढाई करना चाहती थी। लेकिन समाज के सवालों (लड़की अकेली कैसे रहेगी? अभी शादी कर दो।) को सुनकर उसके परिजन एक अच्छा रिश्ता आने पर उसकी शादी कर देते हैं। सीमा ने जैसे अपने सारी इच्छाएँ मन मे ही दबा ली हो क्या किसी ने पूछा उसको खामोशी को? ये कहानी आज हर दूसरी स्त्री की है ? उनकी भावनाओं को समझने की बजाय उन पर निर्देश थोपे जाते हैं। इस संदर्भ ये पंक्तियाँ याद सटीक नजर आती हैं-

''तन के भूगोल से परे
एक स्त्री की
मन की गाँठे खोलकर
कभी पढ़ा है तुमने
उसके भीतर का खौलता इतिहास
पढ़ा है कभी तुमने उसकी चुप्पी की दहलीज पर बैठे
शब्दों की प्रतीक्षा में उसके चेहरे को
अगर नही तो क्या जानते हो तुम
एक स्त्री के बारे में रसोई और बिस्तर के गणित से परे।''

उपर्युक्त पक्तियों को देखकर मन में सवाल उठता है कि क्या समाज की आधी जनसंख्या की कोई महत्ता नही? क्यों उनकी भावना को समझा नहीं जाता? क्या कारण है कि समाज में ये भेदभाव आज भी विद्यमान है?

इन सभी सवालों के जवाब के लिए हमें ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, मनौवैज्ञानिक कारणों को समझना होगा।

ऐतिहासिक कारणों की बात करें तो विश्व हो या भारत, कोई भी नारीवादी युग की गवाही नही देता। कुछ मातृसत्तात्मक उदाहरणों को छोड़ दे तो हम पाएंगे कि इतिहास में स्त्री को पुरुष द्वारा जीतने की वस्तु माना गया है। ये हाल चाहे द्रोपदी का हो या ईव का या किसी अन्य स्त्री का । गुप्तकाल-मध्यकाल तक आते-आते दुर्दशा इतनी हो चुकी थी कि पति के मरने पर स्त्री को जला दिया जाता था चाहे उनकी इच्छा हो या न हो। इसी ऐतिहासिक सोच का असर वर्तमान व्यवस्था पर पड़ता है।

अभी एक विश्लेषण सामाजिक कारणों का करते हैं। सामाजिक व्यवस्था का समालोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे तो हम पाएंगे कि इनमें भेदभाव एक बृहत स्तर पर विद्यमान है। एक उदाहरण विवाह व्यवस्था का ही ले लिजिए। जहाँ दूल्हा तलवार के साथ घोड़ी पर बैठकर शादी करने जाता है मानो वह शादी नही युद्ध लड़ने जा रहा हो। वहीं दुल्हन को कन्यादान के रूप मे जैसे कोई वस्तु दान की हो, ससुराल को सौंप दिया जाता है। तत्पश्चात एक परीक्षा सुहागरात की वह सफेद चादर लेती है मानो स्त्री की पवित्रता उसके मन से नहीं उसके शरीर से हो। सही कहा है-

''भोगा गया हमको की
किसी दूर के रिश्तेदार की तरह
एक दफा हमने भी कहा
हम भी इन्सान है।''

इसी तरह राजा बेटा की इच्छा हो लड़की को पराया धन मानने की मानसिकता समाज में ऐसे अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे जो स्त्री की वर्तमान दशा का कारण बनते हैं।

आर्थिक कारणों की बात करें तो संपत्ति में स्त्रीयों को अधिकार नहीं दिया जाता है ना ही उनके आर्थिक सशक्तिकरण के उपाय किये जाते हैं। वे शादी से पहले अपने पिता पर तथा शादी के बाद पति पर निर्भर होती है। वर्तमान में बहुत क्षेत्रों में शिक्षा भी इसिलिए दी जाती है कि एक अच्छा पति मिल सके। इस तरह- स्त्रियों की आर्थिक रूप से कमजोर होने पर उनकी भावना पर विचार नही किया जाता है।

राजनैतिक कारणों की बात करें तो मानसिकता यह है कि सत्ता पर अधिकार सिर्फ पुरुष का है। यह वर्तमान मे संसद में महिलाओं की कम संख्या के कारणों की व्याख्या करता है। स्थानीय स्तर पर यदि कोई महिला सरंपच या सासंद बन भी जाए तो वहाँ भूमिका मुख्यतया सरपंचपति या सासंदपति की ही होती है महिला का कार्य होता है तो सिर्फ हस्ताक्षर करना।

मनौवैज्ञानिक कारणों की व्याख्या करें तो हम पाएंगे कि महिलाओं को कमजोर मानने की मानसिकता, देखबालकर्ता की भूमिका इत्यादि हैं। लेकिन वर्तमान मे कारण चाहे जो भी रहे हो पर अब समय आ चुका है कि महिलाओं को उनके अधिकार मिले। उन्हें वो ही सम्मान मिले जो एक पुरुष को मिलता है। इसके लिए हमें समग्र पक्षो पर पर ध्यान देना होगा क्योंकि

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवताः । ।

अर्थात हमारा समाज कल्याण, महिला कल्याण पर ही निर्भर है। सर्वप्रथम तो जिस चीज की आवश्यकता है वह मानसिकता परिवर्तन की। समाज मे स्त्री- पुरुष को समान महत्व दिया जाना चाहिए। अर्थात उनको देवी न समझ कर सिर्फ इन्सान भी समझा जाए तो वर्तमान में फिर से अनेकों महिलाएँ गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा बन सकती हैं। आवश्यकता है तो सिर्फ उन्हें पुरुषों के समान शिक्षा, स्वास्थ्य के अवसर प्रदान करने की।

तत्पश्चात क्रम आता है आर्थिक सशक्तिकरण का। महिलाओं को संपत्ति मे हिस्सा देकर, नौकरी, आय समानता, जैसे कार्यों के माध्यम से उनको आर्थिक रूप से सशक्त किया जा सकता है।

वर्तमान में सरकार द्वारा महिला कल्याण के लिए कई योजनाओं व कानूनों का निर्माण किया गया है। महिलाओं की सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए शिक्षा (कस्तूरबा बालिका महाविद्यालय, शिक्षा का अधिकार, मिड डे मील, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ). स्वास्थ्य के लिए (पोषण मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन) तथा सशक्तिकरण(स्वाधार गृह, कॉमन सर्विस सेन्टर) व सुरक्षा (महिला पुलिस वोलेन्टियर, विभिन्न हेल्पलाइन नम्बर) के लिए उठाए गए सराहनीय कदम है। ये समाज में निम्न धारणा विकसित करने में सहायता कर सकते है -

''कोमल है कमजोर नहीं तु, शाक्ति का नाम ही नारी है''

राजनैतिक सशक्तिकरण के लिए आरक्षण व्यवस्था (स्थानीय स्तर पर दी गई है वर्तमान में इसे सभी स्तरों (लोकसभा, राज्यसभा) पर दिए जाने की आवश्यकता है।

आर्थिक उपायों में समान वेतन कानून, आय समानता, संपति अधि कार अधिनियम जैसे कानूनी प्रावधान किए गए हैं। वही योजनाओं में सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा, स्टैण्ड अप इण्डिया, जन धन योजना आदि प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न योजनाएं यथा मातृत्व संरक्षण अभियान, महिला पुलिस हेल्प लाइन, किरण, उड़ान, आदि सराहनीय प्रयास है।

लेकिन किए गए प्रयास अभी भी अपर्याप्त है। अगर महिलाओं के कल्याण को बढ़ावा देना है तो आवश्यकता है उनके समग्र भागीदारी सुनिश्चित करने की, चाहे वो ग्रामीण और शहरी स्तर पर हो या राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर हो आर्थिक और सामाजिक स्तर पर हो या राजनैतिक और सास्कृतिक स्तर पर।

उन्हें वस्तु न समझकर इन्सान समझने की आवश्यकता है जो पुरुष के समान ही महत्व रखती हो। जिस तरह सिनेमा में पुरुष की भूमिका होती है आवश्यकता है में महिलाओं की भी वैसी ही हो। वर्तमान में आइटम नंबर, अभिनेता पर निर्भर छवि से निकालकर एक सशक्त भूमिका व किरदार वाली फिल्मों की आवश्यकता जो समाज की मानसिकता परिवर्तित में करने सहायक हो यथा मर्दानी, मणिकर्निका, मैरीकोम, क्वीन।

इसके अतिरिक्त एक भूमिका शिक्षक, परिजन, विद्यालय, माता-पिता भी निभा सकते हैं। बचपन से ही लड़के-लड़की को समान मूल्य प्रदान किए जाए उन्हें एक दूसरे के प्रति आदर-सम्मान का दृष्टिकोण विकसित किया जाए। वर्तमान मे NCERT में नारी की भूमिका बढ़ाने वाले उदाहरण शामिल किए गए हैं जो इसी ओर उठाए गए कदम है।

इसी तरह राजनैतिक इच्छाशक्ति भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जेन्डर बजटिंग, महिला कल्याण योजनायों द्वारा समग्र भागीदारी सुनिशित की जा सकती है।

वैश्विक स्तर पर भी महिला सशक्तिकरण रणनीति बनाने की आवश्यकता है तथा सभी राष्ट्रों के समन्वय की आवश्यकता है।

अगर मानसिकता परिवर्तन, सामाजिक, राजनैतिक आर्थिक उपाय समग्र रूप से लागू होगे तो वह दूर दिन दूर नही जब हर घर में गार्गी, मैत्रेयी, लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडु, एनी बेसेन्ट, आनंदीबाई जोशी, जानकी अमाल, कल्पना चावला, इन्दिरा गांधी, सुनीता विलियम्स, मैरी क्यूरी, महादेवी वर्मा, लता मंगेसकर, मैरी कॉम, गीता फोगाट, निर्मला सीतारमन, जैसी स्त्रियाँ पैदा होंगी।

महिलाओं के कल्याण के समाज कल्याण बढ़ेगा। जैसा कि कहा भी गया है- **''किसी पुरुष को शिक्षित करने पर सिर्फ एक पुरुष ही शिक्षित होता है वहीं एक स्त्री को शिक्षित करने पर पूरी पीढ़ी शिक्षित होती है।''**

इस तरह हमें स्त्री का उसके तन के आधार पर मूल्याकन न करके उसके समस्त भावनाओं को समझने की आवश्यकता है तथा औरत को कोई नही समझ सकता कहकर **पल्ला झाड़ लेने वाली मानसिकता से निकल कर उनकी स्थिति को समझकर उन्हे समान अवसर देने की आवश्यकता है।**

अत: हम कह सकते हैं वही समाज विकसित होगा जहाँ सीमा जैसी लड़कियाँ (प्रस्तावित उदाहरण) अपनी इच्छाएँ पूरी कर सके। अत: हमने अगर अपनी मानसिकता परिवर्तित कर ली तो शीघ्र ही समाज विकास की नई ऊँचाईयों की छू लेगा। इस प्रसंग में डॉ. अम्बेडकर को एक कथन बहुत ही सही व्याख्यान करता है।

''मैं किसी समुदाय की प्रगति का माप महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति से करता हूँ।''

❑❑❑

4. ''समस्याग्रस्त विश्व के लिए गांधीवादी विचारधारा की प्रांसगिकता''

लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई करने के बाद एक युवा जब अपन विदेश से भारत लौटता है तो यहाँ व्याप्त गरीबी, शोषण, भुखभरी को देख कर, वह अपने पारिवारिक हित व नीजि हित त्यागकर, एक लाठीव धोती पहनकर अपनी सारी उम्र समाजसेवा को अर्पण कर देता है। इस तरह वह युवा आज राष्ट्रपिता के नाम से प्रसिद्ध है। गांधी जी का जीवन आज भी प्रेरणा का स्रोत है। तभी आइन्सटीन ने कहा था-

''हमारी आने वाली पीढी को यकीन नही होगा कि हाड-माँस के पुतले में एक ऐसा व्यक्ति भी हुआ था।''

गाँधी जी के जन्म के लगभग एक शताब्दी बाद आज मन में सवाल उठता है कि क्या आज भी उनकी विचारधारा प्रासंगिक है? क्या आज भी उनके मूल्यों का प्रयोग कर वर्तमान में विभिन्न क्षेत्रों यथा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैश्विक समस्यायों का हल किया जा सकता है? बिना किसी आश्चर्य के आज भी इन सवालों का उत्तर सकारात्मक ही मिलता है।

गाँधी जी द्वारा दिए गए 11 व्रत व 7 पाप आज सभी क्षेत्रों में उपयोगी है। वर्तमान की विभिन्न समस्याओं का विश्लेषण के लिए उनके विचारों: मूल्यों का विश्लेषण आवश्यक है।

वर्तमान मे सभी ज्वलंत मुद्दों में से एक पर्यावरण का मुद्दा है। इस संदर्भ मे गांधीजी का कथन-

''पृथ्वी हमारी जरूरते पूरी कर सकती लालचों को नहीं''

उचित मार्गदर्शन करता है। संसाधन का अनुचित दोहन, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता कमी आदि समस्यायों लिए आवश्यक है है कि हम अपनी असीम इच्छाओं पर काबू रखें तथा इनका संधारणीय रूप से प्रयोग करे।

गांधी जी ने **''सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य''** जैसी शिक्षाएँ दी तथा उनके 7 पाप जैसे- त्याग रहित पूजा, चरित्र रहित ज्ञान, धर्मविहीन राजनीति, नैतिकता रहित विज्ञान, श्रम बिना धन, अंतकरण रहित सुख, को दूर करके मानव में नैतिकता समाहित की जा सकती है।

वर्तमान में आर्थिक स्थितियों के समाधान के लिए गांधीजी का **''सर्वोदय व ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त''** एक मार्गदर्शक की तरह साबित हो सकते है। सर्वोदय व ट्रस्टीशिप सिद्धान्त आय के असमान वितरण को कम कर समावेशी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है तथा वर्तमान की गरीबी, अशिक्षा, असमानता जैसी समस्याओं का निपटान दिया जा सकता है।

सामाजिक क्षेत्र की बात करें तो गांधी जी वंचित वर्गों (महिला, दलित, विकलांग, (जनजाति) के प्रति विचार वर्तमान समस्याओं के निराकरण में सहायक है। जिसमें सभी को समान समझ व सभी की समान भागीदारी विकसित होगी यथा

''मैं भारत को तभी विकसित राष्ट्र मानूँगा जब सबसे गरीब व्यक्ति को लगे कि राष्ट्र निर्माण मे उसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है।''

वर्तमान में बढ़ते साम्प्रदायिक दंगो, आतंकवाद, उग्रवाद, द्वेष आदि को कम करने में गांधी जी की **''अहिंसा परमोधर्म:''** विचारधारा सहायक साबित हो सकती है। इसके अतिरिक्त बढ़ते धार्मिक प्रतिस्पर्धा, अलअल्पसंख्यक मुद्दों, धार्मिक शोषण, असहिष्णुता आदि मे **''सर्वधर्मसमभाव:''** विचारधारा का सहारा लेकर शांति स्थापित की जा सकती है।

बढ़ते भौतिकवाद, संग्रहण की प्रवृत्ति, अंधा पाश्चात्यीकरण, भ्रष्टाचार, काला धन जैसी समस्यायों के लिए **''अपरिग्रह''** मूल्य एक रामबाण साबित हो सकता है। इन समस्यायों के समाधान के लिए प्रतिव्यक्ति की विचारधारा में परिवर्तन आवश्यक है जिसके संदर्भ मे गांधीजी जी का निम्न विचार बहुत सटीक बैठता है-

''जो भी बदलाव तुम विश्व में देखना चाहते हो, वह बदलाव सर्वप्रथम स्वयं में करने की कोशिश करो''।

इस तरह सभी की विचारधारा व व्यवहार को परिवर्तित कर वर्तमान की सभी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है फिर चाहे वे किसी भी क्षेत्र की क्यों न हो।

दो धारी तलवार को रूप रखने वाली विज्ञान का नियमन गांधीजी द्वारा दिए गए **''नैतिकता रहित विज्ञान''** के पाप को दूर कर किया जा सकता है। विज्ञान में नैतिकता के समावेश से वर्तमान के परमाणु बम, सशस्त्रीकरण, हथियार, अंतरिक्ष प्रयोग, रोबोटिक्स, चिकित्सीय पद्धति में नैतिकता जैसे मुद्दों का समाधान दिया जाता है।

वर्तमान का एक मुद्दा ष्वैश्वीकरण की मात्राष का भी है। प्राय: राष्ट्रों में यह विवाद रहता है कि वैश्वीकरण की दर क्या हो? राष्ट्रवाद व विश्ववाद में किसे महत्ता है? इस संदर्भ मे गांधीजी का विचार

''तुम्हारे घर के दरवाजों को बंद रखो ताकि वे सुरक्षित रहे, परंतु तुम्हारी खिड़कीयाँ सदैव खुली रहे ताकि बाहरी स्वच्छंद हवा तुम्हे बाहरी जगत से परिचित करा सके''।

अर्थात हमें राष्ट्रवाद व विश्ववाद में सतालन बनाए रखाना चाहिए। वैश्वीकरण इतना हो कि घरेलू उद्योग संरक्षित भी रहे तथा राष्ट्र की जनता के सामने विकल्पों की भी उपस्थित रहे। इस तरह से वर्तमान के संरक्षणवाद, ट्रेड वॉर WTO मुद्दों आदि का निपटन किया जा सकता है।

वर्तमान में विश्व में आत्महत्या, मानसिक तनाव, द्वेष, डिप्रेसन जैसी स्थितियाँ समस्याएँ भी लगातार बढ़ रही है इस सन्दर्भ में गांधी जी का कथन -

''खुशी तब मिलेगी जब आप जो सोचते है, जो कहते हैं व जो करते हैं सामंजस्य में हो'' युवाओं में एक प्रेरणा का संचार कर सकता है।

इस तरह गांधी जी के विचार वर्तमान विश्व की समस्यायों यथा पर्यावरण, सामाजिक बेदभाव, आर्थिक, वैज्ञानिक समस्याएँ, वैश्वीकरण को हल करने में प्रासंगिकता रखती हैं।

हालांकि वर्तमान के लोकतांत्रिक राज्य अवधारणा मे **''रामराज्य''** जैसी अवधारणा तुलनात्मक रूप से कम महत्व रखती है। इसी तरह उनकी जाति व्यवस्था की भी बढ़ते व्यापार क्षेत्रों के कारण प्रासंगिकता में कमी आई है। यह समय के साथ आए परिवर्तन का प्रभाव है। लेकिन फिर भी उनके मूल भाव के पवित्र उद्देश्य की महत्ता आज भी बनी हुई। इस तरह से कुछ अपवादों को छोड़ दे तो आज गांधीजी के देहावसन के लगभग 75 साल बाद भी उनकी विचाराधारा वही महत्व रखती है।

उनकी सभी जीवों की प्रति दया, दृढ निश्चय, न्याय के प्रति विचारधारा, सत्य की व्यापकता, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, आज भी युवायों को प्रेरित करती है। आवश्यकता है तो इन विचारों को यथार्थता से लागू करने की ताकि समग्र विश्व में शांति स्थापित हो सके।

अत: किसी समस्या को दूर करने में हमें गांधीवादी विचारधारा एक मार्गदर्शन प्रदान करती है। हमे विश्व की समस्याओं के ससमाधान के लिए उठाए जाने वाले कदमों का मूल्यांकन गांधीजी के तलिस्मान का प्रयोग कर सकते है तथा विश्व कल्याण में सही कदम उठा सकते हैं।

''जब भी तुम्हे संदेह हो या तुम्हारा अहम् तुम पर हावी होने लगे तो यह कसौटी आजमाओं:

जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा हो उसे याद करो और सोचो तुम्हारा यह कदम उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा?'' -गांधीजी का जन्तर (तलीस्मान)

❑❑❑

KHAN GLOBAL STUDIES
Kisan Cold Storage Campus, Musallahpur, Patna-6
KHAN SIR

5. ''भारतीय संस्कृति आज : एक मिथक या एक वास्तविकता''

विश्व को **'वसुधैव कुटुम्बकम'** व **'सर्वे भवन्तु सुखिन'** जैसे पाठ पढ़ाने वाली तथा अध्यात्मिकता, शांति संबंधी मूल्यों को विकसित करने वाली भारतीय संस्कृति को अतीत में विश्वगुरु जैसे खिताब प्राप्त थे। तो मन में विचार उठता है कि क्या आज भी भारतीय संस्कृति अपने आदर्शों को बनाए रखने में सफल है? क्या आज भी भारतीय समाज में उसके मूल्य उसी तरह विकसित है जो अतीत में थे या आज ये एक मिथ्या है? यह विचार भी उठता है कि संस्कृति का कौन-सा रूप आज व्यापत है क्या यह दिखावा मात्र है या सच में लोग आज अपनी संस्कृति का पालन करते हैं?

इन सभी उत्तरों को जानने से पहले हमें भारतीय संस्कृति के तथा उसके मूल्यों के बारे में एक समझ विकसित करनी होगी जिससे कि वर्तमान व्यवस्था का मूल्यांकन हो सके।

सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में निकली भारतीय संस्कृति वैदिक, मौर्य, गुप्त, सल्तनत व मुगलकाल के विभिन्न रूपों व मूल्यों को स्वयं में समाहित करते हुए विकसित हुई है। इसमें दया, करुणा, प्रेम, बंधुत्व, महिला सम्मान, सामाजिक उत्तरदायित्व, अहिंसा, सर्वधर्म समभाव, विविधता म एकता जैसे न जाने कितने मूल्यों का समावेश है जो इसे मनातन व विविध रूप प्रदान करते हैं।

यूनान, मिश्र सीमा सब मिट गए जहाँ से।
अब भी बाकी है नामों निशां हमारा॥
कुछ तो बात रहा है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी।
सदियों रहा है दुश्मन, दौरे जहाँ हमारा॥

सर्वप्रम हम उस पक्ष पर गौर करते हैं, कि किस परिप्रेक्ष्य में भारतीय संस्कृति एक मिथ्या साबित हो रही है।

वर्तमान में बढ़ते सम्प्रदायवाद, सामाजिक असहिष्णुता, धार्मिक अलगाववाद जैसे तत्वों को देखकर लगता है मानो **''भारतीय गंगा जमुना''** तहजीब तो सिर्फ शब्दों व संविधान के आदर्शों मे ही सिमट कर रह गई है। किसी भी घटना को धार्मिक परिप्रेक्ष्य में देखने की प्रवृति को निरंतर बल मिलता जा रहा है।

ऐसे ही महिलाओं का शोषण, बढ़ते बलात्कार, दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा, जैसे बढ़ते मामलों को देखकर लगता है कि **'यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता'** जैसे विचार न जाने कहाँ धूमिल हो गए हैं।

NCRB रिपोर्ट के अनुसार लगभग सलाना दहेज के कारण मृत्यु के 7000 आँकड़े आए है तथा प्रति घटें लगभग 2 महिला दहेज के कारण मृत्यु का शिकार हो रही है।

ऐसे दिल दहला देने वाले आँकड़ो को देखकर यही लगता है कि महिला सम्मान तो बस एक ढकोसला बन कर रह गया है।

समाज की अन्य बुराइयों को देखने से पहले द्य समाज को ही देखगें तो पाएंगे की समाज ही रतनी असमानताओं से युक्त है कि संविधान के उद्देश्य (समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक-आर्थिक कल्याण) मात्र उद्देश्य बन कर ही रह गए हैं।

भारत की लगभग 70% संपत्ति पर मात्र व्यक्तियों का अधिकार है। इसके अतिरिक्त अमीर-गरीब, शहरी-ग्रामीण, डिजिटल डिवाइड, महिला पुरुष संबंधी न जाने कितनी असमानताएँ भारतीय समाज में प्रवेश कर गई है जो भारतीय संस्कृति के समानता संबंधी तत्व की सफलता पर प्रश्न चिह्न उठाते हैं तथा मन में सवाल पैदा करते हैं कि - **''कहाँ छुपा के रख दूँ मैं अपने हिस्से की शराफत जिधर भी देखता हूँ उधर बेइमान खड़े है। क्या खूब तरक्की कर रहा है अब देश देखिए, खेतों में बिल्डर, सड़क पर किसान बड़े हैं ॥**

समाज से निकलकर अब अगर अपनी चारों तरफ के पर्यावरण पर नजर दौड़ाएँ तो पाते है कि विकास की अंधाधुंध दौड़ में भारतीय संस्कृति के पर्यावरणीय मूल्य मानो दिल्ली की प्रदूषित हवा में जैसे उड़न छू ही है गए अतीत में भारतीय संस्कृति में पेड़ों की खातिर अपनी जान तक न्यौछावर करने वाली अमृता देवी के देश में आज पेड़ ऐसे काटे जा रहे जैसे इनका कोई महत्व ही न हो।

साथ ही बढ़ते भौतिकवाद का असर भारतीय मानसिकता पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एकल परिवार, मानसिक तनाव, ड्रग्स सेवन, आत्महत्या जैसे बढ़ते मामलोंश को देखकर लगता है कि ये मूल्य तो भारतीय संस्कृति में कभी न थे।

इसी प्रकार भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज की इन बुराइयों को देखकर तो मन में यही विचार आता है कि भारतीय संस्कृति आज एक मिया का रुप ले है चुका है परंतु किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले हर सिक्के के दोनों पहलुओं पर विचार करना चाहिए। हमें पहलुओं संस्कृति उन पर भी गौर करना चाहिए वो भारतीय को आज भी उजागर करते हैं।

वैश्वीकरण के इस दौर में बढ़ती प्रतिस्पर्धा में जहाँ हर देश अपने हित को ध्यान में रखकर स्वार्थवाद को दर्शा रहा है वहीं भारत की विदेश नीति में सहयोग, शांति व वसुधैव कुटुम्बकुम जैसे तत्व आज भी दिखते हैं। यथा कोरोना के समय जब अमेरिका जैसे देश वैक्सीन जमा-खोरी पर ध्यान दे रहे थे वहीं भारत, अफ्रीका जैसे कई जरूरतमंद देशों को कई चिकित्सकीय सुविधा वैक्सीन उपलब्ध कराई। यह भारतीय संस्कृति की जीवतंता ही है।

भारतीय समाज विभिन्न विविधता से युक्त होते हुए भी आज एक बना हुआ है राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हो तो सभी भारतीय अपने गिले-सिकवे भूलकर एक हो जाते हैं। आज भी चाहे कितने भी विवाद हो परंतु भारतीय विविधता के साथ भारत एक देश के रूप में कभी विखडित नही हुआ। जिसे देखकर यही लगता है कि-

'प्यार का दूसरा नाम है मेरा भारत,
अनेकता में एकता का प्रतीक है मेरा भारत।
चंद गैरो की सुनना मुझे गँवारा नहीं,
हिंदू हो या मुस्लिम सभी को प्यारा है मेरा भारत।

भारतीय समाज में देखें तो महिलाएँ आज हर क्षेत्र में अपना वर्चस्व दिखा रही है चाहे वो विज्ञान (कल्पना चावला, सिरिशा बांदला,) राजनीति (निर्मला सीतारमण, प्रियंका गांधी, स्मृति इरानी), खेल (मीराबाई चानू, अवनि लेखरा) या प्रशासन कुछ भी हो। इन पदों पर पहुंचना भारतीय संस्कृति में महिला संवेदी भाव को ही दर्शाता है।

ऐसे ही भारतीय अर्थव्यवस्था में कल्याण कारी योजनाओं, CSR संबंधी व्यवस्थाओं का होना भारत की सामाजिक आर्थिक कल्याण संबंधी भाव को दर्शाता है।

इसी तरह अर्थव्यवस्था से निकलकर पर्यावरण को देखे तो पाएंगे कि अर्थव्यवस्था व पर्यावरण में संतुलन आज भी दिखाई दे रहा है। जैसे जलवायु परिवर्तन के प्रति भारतीय प्रतिवद्धता, सौर ऊर्जा पर बल, पर्यावरणीय प्रबंधन में समाज की भागीदारी (पवित्र उपवन), रीति रिवाजो व यथार्थ मे पर्यावरण से रिश्ता; जो कि दर्शाता है कि भारतीय पर्यावरणीय मूल्य आज भी भारतीय संस्कृति में विद्यमान है।

इसके साथ ही भारतीय संस्कृति की जो एक अनुपम विशेषता है वह है **''परिवर्तनन को समाहित करना''**। यह आज और भी उत्कृष्ट रूप ले चुकी है। वर्तमान भारतीय संस्कृति ने विश्व की विभिन्न संस्कृतियों के बहुत से मूल्यों को खुद मे समावेश किया है। समलैंगिको के प्रति संवेदनशीलता के नए तत्व इसी का उदाहरण है।

इसी तरह भारतीय संस्कृति आज व्यक्ति व समाज के हर पहलू यथा राजनीति (सर्वदल उपस्थिति), अर्थव्यवस्था, (आर्थिक योजनाएँ), धर्म (धर्म निरपेक्षता), पर्यावरण (मानव-पर्या. सहजीवन), सांस्कृतिक (सांस्कृतिक विविधता व एकता) ने अपने अस्तित्व को बनाए रखने में सफल साबित हुई है।

अत: वर्तमान की कुछ कमियों को दूरकर तथा पुन: संस्कृति के तत्वों तथा आधुनिकता के मिश्रण का निर्माण कर भारत को पुन: विश्वगुरु बनाया जा सकता है भारतीय संस्कृति की वास्तविकता की और विकसित किया जा सकता है। तत्पश्चात सिर्फ एक ही गुँज होगी-

''सारे जहाँ से अच्छा, हिंदोस्ता हमारा''

❑❑❑

KHAN GLOBAL STUDIES
Kisan Cold Storage Campus, Musallahpur, Patna-6
KHAN SIR

6. भारत में न्यायिक सुधार : चुनौतियाँ व सुधार

''कितने जालिम हैं ये दुनिया वाले,
घर से निकलो तो पता लगता है
दो कदम पर अदालत है लेकिन,
सोच लो ! वक्त बड़ा लगता है।''

उपर्युक्त पक्तियाँ वर्तमान न्याय व्यवस्था में व्यापक कमियों पर तीक्ष्ण कटाक्ष करती है। परंतु आँकड़ो को देखें तो यह कटु सत्य भी साबित होती है। लोकसभा में केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए एक जवाब के अनुसार भारत में वर्तमान 4.70 करोड़ मामले अदालतों में लंबित है। **''जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड''** की विचारधारा पर चिंतन करें तो वर्तमान मे न्यायिक सुधार आवश्यक प्रतीत होते हैं।

शासन को सुचारू रूप से चलाने हेतु आवश्यक है कि इसका प्रत्येक अंग यथा विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका उचित ढंग से कार्य करती रहे। वर्तमान में इसी परिप्रेक्ष्य को देखते हुए न्याय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है परंतु इसके समक्ष अनेक चुनौतियाँ भी विद्यमान है।

भारत में न्यायिक सुधार : चुनौतियाँ :-

उपर्युक्त विश्लेषण मे हमनें जाना कि न्यायिक मामलों में पेंडेंसी (लंबिता) एक अहम् मुदा है। परंतु इसमें सुधार के समक्ष चुनौति न्यायिक नियुक्ति संबंधी है।

पूर्व. चीफ जस्टिस N.V. रमन्ना के अनुसार न्यायिक क्षेत्र मे अधिकांश जन संबंधी पद रिक्त है। जिससे उचित जज उपलब्ध नहीं हो पाते। भारत में प्रति 10 लाख लोग पर 2 जज है जिससे कि न्यायिक व्यवस्था पर अतिरिक्त भार का निर्माण होता है।

रिक्तियों के अतिरिक्त नियुक्ति प्रक्रिया संबंधी चुनौति बनी हुई है। उच्च न्यायलयों में काले- जियम द्वारा नियुक्ति प्रणाली पर हाल में कई सवाल उठा है साथ ही निचली अदालतों में भी नियुक्ति में पारदर्शिता का अभाव पाया जाता है। इस पारदर्शिता के अभाव का प्रभाव न्याय की गुणवत्ता पर पड़ता है।

इसके अतिरिक्त न्यालयों के आधुनीक तकनीक व अवसंरचना के अभाव का सामना भी किया जाता है। जिससे कोर्ट प्रबंधन में समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त कानूनों की जटिलता व पुराने कानून भी एक अहम मुद्दा है।

भारतीय न्यायिक प्रणाली की एक ओर समस्या से जवाबदेहिता सुनिश्चित न होना भी है। RTI से कानून प्रणाली बाहर है इसलिए वास्तविक दशा का उचित ज्ञान नही हो पाता। इसके साथ ही जजों के जाँच करने की भी कोई तटस्थ व्यवस्था नहीं है। साथ ही कई बार भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे भी सामने आते है।

इसके अतिरिक्त न्यायिक प्रणाली अत्यधिक खर्चीली होना भी एक अहम मुद्दा है जिससे की एक आम आदमी वकीलों व इस प्रक्रिया का खर्च नहीं उठा पाता। अत: आवश्यकता है न्यायिक प्रणाली सभी के पहुँच योग्य हो।

उपर्युक्त मामलों के अतिरिक्त जो एक नया मुद्दा बनकर उभरा है वह है **'न्यायिक अतिक्रमण'** का। बढ़ते न्यायिक अतिक्रमण ने **'शक्ति-पृथक्करण के सिद्धान्त'** को ही चुनौति दी है जिससे कि शासन के अन्य स्तम्भ की शक्तियाँ भी प्रभावित होती।

अत: शासन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने, संविधान के आदर्शों को बनाए रखने व जनता का न्यायप्रणाली में विश्वास बनाए रखने की लिए आवश्यक है कि न्यायिक प्रणाली में उचित सुधार हो।

भारत में न्यायिक सुधार : समाधान :-

सर्वप्रथम न्यायिक नियुक्ति व्यवस्था में तीव्रता व जजों की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता है। इस हेतु अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का सृजन किया जा सकता है। साथ ही उच्च व उच्चतम न्यायलयों में कॉलेजियम व्यवस्था में उचित पारदर्शिता व जवाबदेहिता लाने की भी आवश्यकता है ताकि न्यायिक सेवा की गुणवत्ता प्रभावित न हो। इस नियुक्ति व स्थानांतरण की प्रक्रिया पारदर्शी होगी तो जज बिना किसी काय दबाव के कार्य की सकेंगे।

लंबित मामलों को ध्यान में रखते कार्य-दिवसों की संख्या बढाई जानी चाहिए व साथ ही विशेष मामलों हेतु समय सीमा का भी उचित प्रावधान होना चाहिए। इसके अतिरिक्त फास्ट ट्रैक कोर्ट, मध्यस्थता कोई, अधिकरण, लोक अदालत आदि की संख्या को बढ़ाना चाहिए ताकि न्यायलयों पर अतिरिक्त बोझ को कम किया जा सके।

इसके अतिरिक्त न्यायिक सेवा में तकनीक भी एक अहम उपाय साबित हो सकती सुधार हेतु है। ई-कोर्ट, सेवा पोर्टल, NeGD, जज व न्यायालय, प्राकलन, केस डेटा रिकॉर्ड, इत्यादि में तकनीक का प्रयोग कर न्यायिक सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त न्यायिक सेवा तक सभी की पहुँच भी सुनिश्चित होनी चाहिए। NALSA इस संदर्भ उचित कदम है परंतु जागरुकता अभाव, प्रो बोनो सर्विस समय निश्चित न होना इत्यादि के चलते उतना प्रभावी नहीं हो पाया है यह अत: जागरुकता बढ़ाने की आवश्यकता है।

न्यायिक अतिरेक की समस्या से बचने हेतु आवश्यक है कि न्यायधीश उचित न्यायिक संयम का पालन करें। जस्टिस पी.एन. भगवती के अनुसार **''सरकार के प्रत्येक अंग को अपनी शक्तियों की सीमाओं में रहकर कार्य करना चाहिए तथा कानून अथवा संविधान द्वारा उनपर आरोपित दायित्वों को पूरा करना चाहिए।''**

इस तरह वर्तमान में न्यायिक प्रणाली द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों का उचित समाधान त्वरित रूप से किए जाने की आवश्यकता है। क्योंकि कहा गया है **''दोषी को सजा व निर्दोष को न्याय सही समय पर मिलना चाहिए तभी समाज की न्याय व्यवस्था आदर्श न्याय व्यवस्था कहलाएगी''।**

❑❑❑

7. विज्ञान व धर्म- परस्पर विरोध या पूरकता

'विज्ञान व धर्म' यह दो शब्द सुनते ही इनके बीच संबंधों को लेकर विभिन्न मतों / बहसों का विचार आता है। जहाँ कुछ लोग इन्हें एक दूसरे का विरोधी मानते हैं तो कुछ इन्हें एक दूसरे का पूरक। परंतु किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले हमें सभी पक्षों पर उचित विचार करना चाहिए।

सर्वप्रथम हमें विज्ञान व धर्म के अर्थ पर विचार करते हैं। तत्पश्चात् इनके संबंध पर विचार करेंगे। विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान है जो विभिन्न प्रयोग, परिकल्पना अध्ययन द्वारा तथ्यों, सिद्धान्तों को जानने का प्रयास करती है। वहीं धर्म वह जिसे धारण किया जा सके अर्थात धर्म वह है कितने जो सबको धारण किए हुए है। अर्थात यह अनुभव, आस्था, नियम इत्यादि पर आधारित विचारधारा है।

सर्वप्रथम हम धर्म व विज्ञान के विरोधी स्वरूप पर चर्चा करेंगे। कई-कई बार धार्मिक कट्टरता, अंधविश्वास व धर्म के बाहरी स्वरूप के चलते धर्म, विज्ञान के विरुद्ध ही नजर आता है। वह विज्ञान के तर्कों के महत्व न देकर अपने विश्वास पर बल देता है जबकि वही विज्ञान तर्क पर आधारित होता है।

उदाहरणतया जब कॉपरनिकस, गैलेलियो इत्यादि ने सौरमण्डल व पृथ्वी के गोल होने संबंधी अवधारणा दी तब उस समय के धर्मगुरुओं ने न केवल इसका विरोध किया, बल्कि इनके प्रति हिसांत्मक रवैया भी अपनाया। परंतु अंतत: विज्ञान अपने तर्कों द्वारा यह सिद्ध करने में सफल रहा। इसी तरह विभिन्न धर्मों की अनेक रुढ़ीवादी मान्यताओं को विज्ञान के तर्कों द्वारा आसानी से खारिज किया जा सकता है। इस अर्थ मे धर्म व विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नजर आते है।

अर्थ व उद्देश्य के आधार पर देखें तो विज्ञान एक दोधारी तलवार की तरह कार्य करता है। यह एक तरफ ऊर्जा द्वारा बिजली भी बना सकता है तो दूसरी तरफ परमाणु बम द्वारा धरती का विनाश भी कर सकता है। वहीं सभी धर्मों का मूल उद्देश्य दया, करुणा व प्रेम को बढ़ाते मनुष्य मात्र के कल्याण से है। तभी तो ली बेन ने कहा है-

''विज्ञान ने हमें सच्चाई तक पहुंचाने का भरोसा दिया है। इसने हमें शांति या सुख तक पहुँचाने का आश्वासन कभी नहीं दिया।''

इस तरह एक अंतर विरोध इनकी पद्धति पर भी है जहाँ धर्म आस्था व अनुभव का विषय है वहीं विज्ञान, तर्क व सिद्धान्त पर आधारित उपयुक्त परिस्थि परिप्रेक्ष्यों पर विचार करने पर धर्म व विज्ञान परस्पर विरोधी नजर आते हैं। परंतु हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि धर्म व विज्ञान परस्पर विरोधी हो वास्तव में यह तो एक दूसरे के पूरक है। दुनिया के सबसे महानतम वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार-

''धर्म, कला और विज्ञान वास्तव में वृक्ष की शाखा प्रशाखाएँ हैं।''

और वास्तव में यह शाखाएँ एक दूसरे, के पूरक होकर मानवता रूपी वृक्ष को उचित आधार प्रदान करती है।

पूरकता पर विचार करें तो विज्ञान व धर्म आदिकाल से ही साथ-साथ चले आ रहें हैं। जिस तरह विज्ञान को बढ़ावा मिलता रहा, धर्म भी पूरक भूमिका में बने रहे।

विज्ञान के प्रवेश से धर्म में भी तार्किकता प्रवेश होता है। उससे अंधविश्वास, रुढ़ीवादिता का कर्मकाण्ड इत्यादि का बहिस्कार होता है वह धर्म का कल्याणकारी स्वरूप ओर निखरकर सामने आता है। इसी तरह विज्ञान में धर्म के प्रवेश से विज्ञान में नैतिकता का प्रवेश होता है। विज्ञान का प्रयोग मानव कल्याण के लिए हो विनाश से यह धर्म द्वारा प्रदान की गई नैतिकता द्वारा ही संभव हो पाता है। महात्मा गांधी के अनुसार -

"विज्ञान को विज्ञान तभी वह शरीर, मन कह सकते हैं जब और आत्मा की भूख मिटाने की पूरी ताकत रखता हो''

और विज्ञान को यह दिशा धर्म ही प्रदान करता है। इसी तरह धर्म में जो रहस्यवाद व कल्पनात्मक अध्यात्मिक कल्पनाएँ होती है विज्ञान के लिए वे नई खोज का आधार बनते हैं। इस तरह अंतत: ये एक-दूसरे को ही सत्यापित करते हैं।

यदि ये दोनो विरोधी होते तो दोनो ही एक विध्वंस रूप ले लेते, यदि धर्म में विज्ञान की तार्किकता न होती तो धर्म बस एक अंधविश्वास, कट्टरता व आडंबर युक्त नियम व्यवस्था बनकर रह जाता। वैसे ही विज्ञान को धर्म का निर्देशन न मिले तो यह मानवता या यूँ कहें पूरी पृथ्वी को समाप्त करने वाला हथियार भी बन सकता है।

अत: वास्तव में ये विरोधी न होकर पूरक ही है दोनों का अस्तित्व एक साथ बना रहता है तथा दोनों अंतत: मानव कल्याण के उद्देश्य से प्रेरित रहते हैं। आइंस्टीन के अनुसार-

''धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है, विज्ञान के बिना धर्म अंधा है।''

8. समावेशी विकास : चुनौति व समाधान

''सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग भवेत॥''

वैदिक काल से चली आ रही उपर्युक्त पंक्तियां सभी के कल्याण या यूँ कहें समावेशी विकास के अमूर्त रूप को ही दर्शाती है। वर्तमान में यह अवधारणा पुनः नए रूप में उभरी है जिसकी विभिन्न परिभाषाएँ व आयाम है।

शाब्दिक अर्थ की बात करें तो समावेशी विकास का अर्थ है सभी का समान विकास। यह विकास की प्रक्रिया व परिणाम मे सभी की समान भागीदारी सुनिश्चित करने की अवधारणा ही है। इस तरह समावेशी विकास, विकास की वह प्रक्रिया है जो विकास के लाभ को समाज के अंतिम पायदान पर स्थित लोगों तक पहुंचाने, उनका जीवन स्तर ऊँचा उठाने तथा उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करने का प्रयास करती है।

समय-समय पर विभिन्न राष्ट्रों ने इस विकास को प्राप्त करने के लिए अनेकों प्रयास किए हैं। भारत में भी विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओ (11 वीं, 12 वीं) व विभिन्न कार्यक्रमों [मनरेगा, खाद्य सुरक्षा, समग्र शिक्षा, स्वास्थ्य मिशन] के माध्यम से इसे प्रयास प्राप्त करने का किया है परंतु कुछ चुनौतियों के चलते समावेशी विकास को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया जा सका है।

समावेशी विकास : चुनौतियाँ

आज समावेशी विकास प्राप्त करने के समक्ष सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, लैंगिक, क्षेत्रीय इत्यादि चुनौतियाँ व्याप्त है।

सामाजिक चुनौतियों की बात करें तो समाज में वर्ग विभाजन (जाति व्यवस्था) एक प्रमुख चुनौति है। जाति व्यवस्था के कारण विकास में तथा कथित निम्न वर्ग के लोग भाग नही ले पाते और उन्हे अपने विकास हेतु उचित अवसर नहीं मिल पाते।

इसी तरह राजनैतिक असमानता भी समावेशी विकास के समक्ष प्रमुख चुनौति बनी हुई है। राजनीति व प्रशासन में सिर्फ कुछ ही लोगों की भागीदारी होने से प्रमुख निर्णय अपने समाज/वर्ग/ पार्टी को देखकर ही लिए जाते हैं।

इसी तरह आर्थिक चुनौतियों की बात करें तो आर्थिक असमानता सबसे प्रमुख चुनौति है। वर्ल्ड इन्कैवलटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 0.1% लोगो के पास कुल सम्पति का 13% है। भारत में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिलती है। भारत के शीर्ष 10 प्रतिशत लोगों के पास कुल सम्पति का 70% है। इसी आय की असमानता व निर्धनता के चलते समाज के सभी लोगों उचित शिक्षा व स्वास्थय उपलब्ध नही हो पाते तथा आर्थिक विकास नही हो पाता है।

आर्थिक चुनौतियों में बेरोजगारी, कृषि का पिछड़ापन, कौशल अभाव, आधारभूत संरचना अभाव भी प्रमुख कारकों में से एक है।

इसी संदर्भ में लैंगिक असमानता भी समावेशी विकास के समक्ष प्रमुख चुनौतियों में से एक बना हुआ है। जब तक आधी जनसंख्या विकास की प्रक्रिया व परिणाम में शामिल नही होगी तब तक समावेशी विकास का स्वप्न अधूरा ही माना जाएगा। इस संदर्भ में वर्तमान में समलैंगिकों (LGBTQ +) समुदाय को भी वंचना का सामना करना पड़ता है अतः यह चुनौति भी गंभीर है।

लैंगिक चुनौतियों के अतिरिक्त क्षेत्रीय चुनौतियाँ भी समावेशी विकास में बाधक है। ग्रामीण-शहरी अंतराल इसी का उदाहरण है। इसके साथ ही पिछड़े क्षेत्र व विकसित क्षेत्र का अंतर भी मुख्य चुनौति हैं।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए उचित समाधान ढूंढे जाने की आवश्यकता है क्योंकि -

''किसी जगह हुआ अन्याय हर जगह न्याय के लिए खतरा है।''

समावेशी विकास : समाधान :-

समाधान ढूंढने के लिए भी हमें सभी पक्षों पर विचार करना होगा।

सर्वप्रथम विकास हेतु सामाजिक अवसंरचना का होना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा व स्वास्थ्य पर GDP का खर्च बढ़ाने के साथ-साथ शिक्षा को समावेशी बनाने की आवश्यकता है। शिक्षा व स्वास्थय का सार्वभौमिकरण कर समावेशी विकास की नींव रखी जा सकती है।

इसके पश्चात् आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। संसाधनों के समतापूर्ण वितरण के साथ-साथ प्रत्येक क्षेत्रक की वृद्धि आवश्यक है विशेषतः कृषि क्षेत्रक की। इसके अतिरिक्त अर्थव्यवस्था के औपचारीकरण की आवश्यकता है। साथ ही बेरोजगारी की समस्या का हल निकालना भी अत्यंत आवश्यक है। इस संदर्भ में MSME व स्टार्ट अप तंत्र को उचित बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

लिंग समावेशिता पर भी विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। नीतियों, कानूनों व योजनाओं को हर लिंग के प्रति संवेदनशील नजरिया रखते हुए लागू किया जाना चाहिए। जेन्डर बजटिंग, महिला शिक्षा व सशक्तिकरण, आर्थिक रूप से महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त क्षेत्र आधारित समावेशिता पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए क्षेत्र आधारित विकास पर बल दिया जाना चाहिए। साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त किए जाने की आवश्यकता है ताकि शहरी पलायन रोकने के साथ-साथ गाँवों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

इस तरह हर क्षेत्र पर विशेष ध्यान हुए व उचित राजनीतिक इच्छा शक्ति के सहारे संतत व समावेशी विकास को प्राप्त किया जा सकता है।

9. परमार्थ में ही मानव जीवन की सार्थकता है।

वृच्छा कबहुँ न फल भखै;

नदी न सचैं नीर।

परमारथ के कारने,

साधुन धरै सरीर।।

उपर्युक्त पंक्तियाँ सच्चे मानव (साधु) के जीवन के उद्देश्य को दर्शाती है। जिस तरह वृक्ष अपने फल कभी नहीं चखते, नदी अपना पानी स्वयं नही पी सकती उसी तरह मानव जीवन भी स्वार्थ पूर्ति के रूप न होकर परमार्थ हेतु होता है अर्थात् परमार्थ में ही मानव जीवन की सार्थककता है।

इस निबंध में हम इन्ही परिप्रेक्ष्यों पर विचार करेंगे कि मनुष्य के जीवन की सार्थकता किसमें है। परमार्थ का क्या महत्व होता है? परमार्थ से व्यक्ति व समाज को क्या लाभ होता है इत्यादि।

मनुष्य जाति, दुनिया की सभी अन्य प्रजातियों में श्रेष्ठ है। इसकी श्रेष्ठता का कारण यह है कि इसमें नैतिकता का पक्ष समावेशित है। इसी नैतिकता से प्रेरित होकर ही मनुष्य स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ हेतु कार्य करता है अत: उसके जीवन का उद्देश्य सभी का कल्याण करने व परमार्थ हेतु तत्पर रहने का है क्योंकि अपना पेट तो पशु भी भरते है परमार्थ की भावना सिर्फ मनुष्य में ही होती है। मैथलीशरण गुप्त जी के शब्दों मे -

यहीं पशु-प्रवृति है कि आप आप ही चरे।

वहीं मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे।।

इस तरह मानव जीवन का उद्देश्य परमार्थ ही है।

अब हम परमार्थ के महत्व को समझेंगे। यदि सभी मनुष्य अपने स्वार्थ को त्यागते हुए परमार्थ हेतु कार्य करते है तो समाज में बंधुत्व व परस्पर सहयोग बढ़ता है तथा एक ऐसे वातावरण का निर्माण होता है जहाँ सभी एक-दूसरे के लिए कार्य कर रहे होते हैं। अत: व्यक्ति समान अथवा परमार्थ के लिए कार्य करके भी स्वयं के कार्य भी सिद्ध कर लेता है और उसके लिए कोई भी कार्य दुर्लभ नहीं रह पाता। तभी तो कहा गया है-

''परहित बस जिन्हें के मन माहीं।

तिन्ह कहुँ जग दुर्लभ कछु नाहीं।।

परमार्थ का एक लाभ यह भी है कि व्यक्ति स्वार्थ या इच्छा का त्याग कर देता है जिससे कि वह अनावश्यक तनाव से भी बचता है।

विभिन्न महापुरूषों की जीवनी पर भी गौर करें तो सभी का उद्देश्य परमार्थ ही नजर आता है और इसी परमार्थ के चलते उनका जीवन सार्थक हुआ। महात्मा गांधी हो या नेल्सन मंडेला, राजा राम मोहन हो राय या दयानंद सरस्वती, भगत सिंह हो या सुभाष चंद्र बोस, मदर टेरेसा हो या इंदिरा गांधी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो या अब्दुल कलाम इन सभी महापुरुषों ने परमार्थ मे ही अपना जीवन व्यतीत किया। तभी आज इनके जीवन के अनुकरण की सीख दी जाती है। क्योंकि इन्होंने स्वार्थ पर जीने की परम्परा के स्थान पर परमार्थ में अपने जीवन को सार्थक माना। तभी तो कहा गया है-

''कुछ लोग है जो वक्त के साँचों में ढाल गए।

कुछ लोग है जो वक्त के साँचों को बदल गए।।''

हमने यह तो जान लिया कि परमार्थ में मानव जीवन की सार्थकता है परंतु यह भी जानना आवश्यक है कि परमार्थ के लिए स्वयं को प्रेरित करें कैसे? जब मैक्यावेली जैसे दार्शनिक यह कहते है कि मनुष्य स्वभाव से ही ईर्ष्यालु व स्वार्थी होता है। ऐसे में परमार्थ के लिए कैसे प्रेरित किया जाय।

इसके लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपनी आवश्यकता व इच्छा में अंतर समझे। ऐसा करने पर वह अपनी आवश्यकता पूर्ति के साथ ही समाज कल्याण के लिए कार्य करेगा। साथ ही बचपन से ही दया, करुणा, परोपकार के मूल्यों का विकास किया जाना चाहिए।

इस तरह यदि सभी में परमार्थ की भावना निहीत होगी तो सभी का कल्याण सुनिश्चित हो सकेगा। तथा मनुष्य अपने धर्म व कर्त्तव्यों की पूर्ति भी उचित रूप से कर सकेगा। तुलसीदास जी परमार्थ के महत्व को बताने हुए कहा है-

''परहित सरिम घरम नहिं भाई।

परपीड़ा सम नहिं अधमाई।।''

इस तरह हम कह सकते हैं कि मानव जीवन की सार्थकता इसी में हैं कि वह परमार्थ हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दें। यही वह तत्व है जो मानव जीवन को उसके महानतम स्तर पर पहुंचाती है तथा सभी प्राणियों का कल्याण सुनिश्चित करती है। विवेकानंद जी के अनुसार-

''जितना हम दूसरों की भलाई करते हैं उतना ही हमारा हृदय शुद्ध होता है और उसमें ईश्वर निवास करता है।''

10. कृत्रिम बुद्धि : भविष्य का द्वार या संकटों का आमंत्रण

कल्पना किजिए कि आप के सुबह से शाम तक के सारे कार्य तकनीक द्वारा इतने सरल हो जाए यथा सुबह उठने के साथ ही आपको स्मार्ट स्क्रीन पर आज के मौसम व कार्यों की जानकारी मिलें। स्नानागार मे लगे पानी का ताप आपके पसंद के अनुसार हो, घर से निकलते ही घर की सभी मशीन की अपडेट आपके पास रहे व ड्राइवर लैस कार स्वयं आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा दें। आज से कुछ दशक तक पहले कल्पना लगने वाली यह बातें कृत्रिम बुद्धिमता की वजह आज हकीकत का रूप ले चुकी है।

परंतु एक कल्पना इसके विपरीत भी करके देखते हैं। कैसा हो अगर आपकी दिनचर्या पर आपका नियंत्रण न हो आपके सभी निर्णय मशीने ही लेने लगे, न आपकी निजता बचें न ही स्वतंत्रता और कैसा हो जब बालीवुड फिल्म (रोबोट) व हॉलीवुड फिल्म- टर्मिनेटर की भाँति आपके ही विरोध में आकर खड़ी ही जाए। बेशक यह किसी डरावने सपने से कम नहीं है परंतु कृत्रिम बुद्धिमता का एक यह रूप भी हो सकता है।

उपर्युक्त दोनों परिदृश्य 'कृत्रिम बुद्धिमता' के संदर्भ में उचित अनुमान प्रदान करते है। इस निबंध मे इन्हीं परिप्रेक्ष्यों पर विचार करेंगे। हम कि कैसे कृत्रिम बुद्धिमता क्या है? कैसे कृत्रिम बुद्धिमता (AI) भविष्य के द्वारा के रूप में कार्य कर सकती है तथा कैसे उचित नियंत्रण व निर्देशन के अभाव में यह एक रुप से बहुत से संकटों को आमंत्रण भी दे सकती है। क्या तरीका अपनाया जाए कि इस दोधारी तकनीक का सही दिशा में प्रयोग लाया जा सके।

कृत्रिम बुद्धिमता से तात्पर्य कम्प्यूटर के द्वारा मानव मस्तिष्क के समान ही सोचने की क्षमता से है। इसमें कम्प्यूटर विभिन्न परिस्थितियों मानव मस्तिष्क के अनुरूप कार्य करता है। मानव कैसे सोचते है, कैसे निर्णय लेते है यह उन्ही का अनुकरण कर कार्य करते है। चैटजीपीटी, अलेक्सा, गूगल अस्टिटेट आदि AI के ही उदाहरण है।

हमने कृत्रिम बुद्धिमता को समझ लिया अब हम यह जानेंगे कि कैसे यह भविष्य का द्वार साबित हो सकता है।

कृत्रिम बुद्धिमता द्वारा वर्तमान के लगभग हर क्षेत्र की समस्याओं के समाधान हेतु प्रयोग मे लाया जा सकता है। साथ ही भविष्य की तकनीक भी इसी पर आधारित होगी। औद्योगिक क्रांति 4.0 हेतु भी कृत्रिम बुद्धिमता महत्वपूर्ण है।

वर्तमान में चिकित्सा क्षेत्र में जीन एडिटिंग, जीनोम सिक्वेसिग, डाटा संग्रहण इत्यादि तकनीक में भी AI वह सटीकता ला सकता तथा उस सूक्ष्म व वृहद स्तर की भी गणना कर सकता है जिसे मनुष्य द्वारा किया जाना अति कठिन है। इस तरह कृत्रिम बुद्धिमता न केवल रोग निवारण अपितु नए चिकित्सकीय शोध में भी अहम भूमिका निभा सकता है।

इसी तरह स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या शिक्षा का (स्मार्ट लर्निंग, ऑनलाइन साल्युशन, नए रिसर्च), कृषि [मौसम पूर्वानुमान, मिट्टी आकलन व सिंचाई सुधार, निगरानी] हो या उद्योग (निर्माण से मार्केटिंग तक), सुरक्षा (साइबर, सीमा सुरक्षा) हो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी (सौरमण्डल व ब्राह्मण्ड का ज्ञान], शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो यहाँ कृत्रिम बुद्धिमता द्वारा नए आयामों को न खौला जा सके। यह इन क्षेत्रो मे व्याप्त जा चुनौतियों के समाधान की उचित क्षमता रखता है।

इसी तरह दैनिक जीवन में हर कार्य को आसान बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसी तरह भविष्य वही देश वैश्विक वातावरण को प्रभावित करेगा जिसने कृत्रिम बुद्धिमता के क्षेत्र में महारथ हासिल की हो। भारत को भी वैश्विक महाशक्ति बनने के संदर्भ में AI के संदर्भ मे अभी से उचित प्रयास शुरू कर देने चाहिए।

इस तरह कृत्रिम बुद्धिमता भविष्य हेतु उस स्वर्णिम द्वारा का कार्य करेगी जो मानव पीढ़ी के लिए हर समास्या का समाधान प्रदान करें।

परंतु किसी तकनीक/वस्तु के दो पहलू होते है जहाँ यह एक तरफ भविष्य के स्वर्णिम द्वारा को खोल सकती है वहीं यह नए संकटो को आमंत्रण भी दे सकती है।

उदाहरण कृत्रिम बुद्धिमता द्वारा कार्य करने पर होने वाली दुर्घटना/क्षति के संबंध में जवाबदेही किसकी हो। यथा चिकित्सा के समय लापरवाही हो या ड्राइवरलेस कार द्वारा एक्सीडेंट होने पर, रोबोट द्वारा किसी कारणवश की गई गलती हो, इन संदर्भों में उत्तरदायित्व का निर्धारण करना कठिन होगा तथा यह नए संकट पैदा करेगा।

इसके अतिरिक्त कृत्रिम बुद्धिमता द्वारा बेरोजगारी की समस्या को भी बढ़ावा मिल सकता है इस संदर्भ में विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। WEF की एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक 501 मशीनों / रोबोटस का कब्जा होगा। अत: इस संदर्भ में कौशल विकास पर विशेष कार्य किए जाने की आवश्यकता है।

इसी तरह कृत्रिम बुद्धिमता द्वारा मानव के सोचा-समान समझा तो जा सकता है परंतु उसमें नैतिकता का समावेश नहीं हो पाता अत: मनुष्य में व्यापत पूर्वाग्रहों को AI द्वारा भी हुबहु प्रतिकृत (कॉपी) किया जाता है यथा विभिन्न एम्म द्वारा नस्लीय भेदभाव। इसी तरह AI द्वारा हथियार बनाने व उसके दुरुपयोग की संभावना भी व्याप्त रहती है। स्टीफन हॉकिंग के शब्दों में -

''कृत्रिम बुद्धिमता की तकनीकी मानव विनाश की कथा भी लिख सकती है''।

अत: कृत्रिम बुद्धिमता के प्रयोग को नियमों, निर्देशों के तहत नियंत्रित किया जाना चाहिए ताकि इसके दुरुपयोग की संभावना कम से कम हो। साथ ही संभावित खतरों हेतु उचित समाधान व विवेक प्रयोग कर निर्णय लिया जाना चाहिए। इस तरह इसमें निहीत चुनौतियाँ का समाधान कर लिया जाए तो यह भविष्य का द्वार साबित हो सकती है अन्यथा भविष्य का संकट। यथा-

''एक जैसी दिखती थी माचिस की तिलीयाँ द्य किसी ने दिए जलाए तो किसी ने घर ।"

11. रचनात्मक चिंतन सफलता का प्रथम सोपान है।

''किसी की चार दिन की जिंदगी
सौ काम करती है।
किसी की सौ बरस की जिंदगी
में कुछ नहीं ही पाता।।''

उपर्युक्त पक्तियाँ पढ़कर मन मे यह सवाल आता है कि वह क्या है जो दो लोगों के जीवन में इतना बड़ा अंतर ला देती है। वह क्या है जो सफलता को निर्धारित करती है। वह क्या है जो नए आयाम पैदा करती है। इन सभी सवालों का जवाब है **'रचनात्मकता'** तभी तो रचनात्मक चिंतन को सफलता का प्रथम सोपान माना गया है।

इस निबंध में आगे बढ़ने से पहले यह जानेंगे कि रचनात्मक चिंतन होता क्या है? रचनात्मक चिंतन से तात्पर्य उस सोच/चिंतन क्षमता से है जिसमें व्यक्ति किसी विषय विशेष के समायान हेतु अथवा कुछ नया आविष्कृत करने हेतु नए तरीके से चिंतन करता है।

अब हम जानेंगे कि रचनात्मक चिंतन सफलता का प्रथम सोपान कैसे है। सफलता हमेशा निरंतर प्रयासरत रहने तथा कुछ बाधा आने पर पुन: नए तरीके से कार्य करने पर निर्भर करती है। अत: रचनात्मक चिंतन वाला व्यक्ति समस्या समाधान हेतु नए तरीके खोज निकलाता है वह अपने इसी चिंतन के सहारे वह समस्या को हल कर सफलता की सीढ़ी चढता है। उदाहरणतया किस ने ही सोचा होगा कि पेड़ से सेब गिरने की सामान्य घटना पर चिंतन करके एक व्यक्ति भौतिक के मूलभूत नियमों का आविष्कार कर सकता है। यह न्यूटन का रचनात्मक चिंतन ही था जो आज उन्हें सबसे सफलतम भौतिक बिंदु के रूप में स्थापित करता है।

भाप से ईंजन बनाने का कार्य हो या पहिए से गाड़ीयाँ बनाने तक का सफर, पक्षियों को देख विमान बनाने का कल्पना सफर हो या मनुष्य के अनुरूप ही रोबोट बनाने का, इन सभी के पीछे मनुष्य का रचनात्मक चिंतन ही रहा है। यह रचनात्मक चिंतन ही था जिसने सदियों से चली आ रही परम्पराओं में नया आयाम जोड़ा तभी तो एडवर्ड डी बोनो ने कहा है कि-

''इसमें कोई संदेह नहीं है कि रचनात्मक चिंतन सदी का सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। रचनात्मकता के बिना, कोई प्रगति नहीं होगी और हम हमेशा उसी पैटर्न को दोहराते रहेगे।''

इस तरह न केवल व्यक्ति की सफलता अपितु किसी समाज / देश की सफलता भी रचनात्मक चिंतन पर ही निर्भर करती है। वर्तमान मे जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों से निपटने के लिए इसी रचनात्मक चिंतन की आवश्यकता है। कैसे हम अपशिष्ट निपटान, प्लास्टिक प्रबंधन इत्यादि में रचनात्मक चिंतन द्वारा नए समाधान ढूंढ सकते हैं।

हमने रचनात्मक चिंतन के महत्व को तो जान लिया परंतु यह भी उतना ही अहम प्रश्न है कि सभी में इस रचनात्मक का विकास कैसे किया जाए।

इस हेतु सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि बचपन से ही रचनात्मकता बढ़ाने हेतु उचित वातावरण का निर्माण हो। बच्चों में सिर्फ रहने-दोहराने की प्रवर्ति का विकास न करके उनकी जिज्ञासाओं को उचित अवसर प्रदान करना चाहिए। क्योंकि जिज्ञासा ही रचनात्मक चिंतन का आधार है। इसी तरह हमें भी हर विषय के संबंध अलग-अलग पक्षों से विचार करना चाहिए ताकि हमारी रचनात्मक चिंतन को आधार मिल सके। यह नया चिंतन ही सफलता के नए द्वार खोलेगा।

विचार का एक पक्ष यह भी है कि मनुष्य तभी सफल हो पाता है जब वह अपने अंदर की सक्रियता व रचनात्मकता को बनाए रखता है तथा अपने चिंतन के सहारे अपनी दिनचर्या मे नए आयामों का प्रवेश करता है। क्योंकि बिना रचनात्मक चिंतन के व्यक्ति का न विकास होगा न ही उसे सफलता मिलेगी। पाश के शब्दों में-

''सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना
तड़प का न होना
सब कुछ सहन कर जाना
घर से निकलना काम पर
और काम से लौटकर घर आना''

इसके साथ ही रचनात्मक चिंतन मनुष्य को मानसिक तनाव व अवसाद से बचाता है जिसके कारण वह अपने कार्य पर उचित रूप से ध्यान दे पाता है। अतंत उसे सफलता मिलती है।

अत: हमे सफलता प्राप्त करनी है तो बरसो से चली आ रही रीति रिवाज के स्थान पर कुछ नया रचनात्मक चिंतन करना होगा और यही रचनात्मक चिंतन सफलता की सीढ़ी बनेगा। तभी तो कहा गया है -

''लीक लीक गाड़ी चले,
लीक ही चले कपूत।
लीक छोड़ तीन चलें,
शायर, सिहं सपूत।।''

12. ''अन्नदाता का उद्धार किसी दया में नहीं बल्कि नवाचार में है।''

''कहा था धर्मगुरुओं ने अपने प्रवचनों में आत्महत्या करने वाला सीधा नरक मे जाता है। फिर भी उन्होने आत्महत्या की क्या नरक से भी बदतर हो गई थी उनकी खेतों की।''

अखबारों, न्यूज चनल, रेडियों आदि में किसान आत्महत्या की खबर अकसर आती है। इन्हीं खबरों को देखकर मन मे सवाल उठता है कि क्या कारण है कि किसान आत्महत्या जैसे वृणित कदम उठाने को मजबूर हैं? क्यों पूरे देश को अन्न खिलाने वाला खुद भूखा सो रहा है? क्यों वह नही चाहता कि उसकी संतान भी खेती करे? जिस देश में त्यौहार भी फसल कटाई-बुवाई पर निर्भर है उस देश मे किसानों की इतनी दयनीय स्थिति किसी विडंबना से कम नहीं।

उन्ही अखबारों में एक खबर और जोर पकड़े हुई है वह 2022 तक किसानों/ की आय दोगुनी करना । एक बार फिर से मन से सवाल उठता है कि क्या ये एक कोड़ी कल्पना है या इसे यर्थाथ में बदला जा सकता है, बदला जा सकता है तो कैसे? पारम्परिक उपायों के संतुष्टिजनक परिणाम न होने पर क्या नया अपना होगा? क्या तकनीक या नवाचार इसमे भूमिका निभा सकते हैं?

इन सभी सवालों के जवाब के लिए हमें एक समग्र विश्लेषण की आवश्यकता होगी । जिसमें हम जान सके कि वर्तमान स्थिति के कारण व समस्या क्या है? तथा उठाए गए उपाय सफल क्यों नही हुए तथा तकनीकी कैसे लाभ पहुंचा सकती है।

किसानों द्वारा वर्तमान मे तीन स्तरों पर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फसल उत्पादन से पहले, फसल उत्पादन के दौरान तथा फसल उत्पादन के पश्चात।

फसल उत्पादन से पहले प्राय: किसानों द्वारा भूमि की कमी, बीज, ऋण, लगान आदि की समस्या सामने की जाती है। जहाँ भूमि की कमी के पीछे महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, जमीदारी जैसी व्यवस्था का इतिहास में विद्यमान होना एक कारण रहा रहा है वही दूसरा कारण काश्तकारी शोषण, विखण्डन, हदबंदी-चकबंदी, सहकारी कृषि की विफलता है।

भूमि की उपलब्धता पश्चात् जिस समस्या का सामना किसानों को करना पड़ता है वह है बीजों का चयन व उनकी लागत, खेती के लिए ऋण, मृदा उर्वरता इत्यादि।

जमीन जल चुकी है आसमान बाकी है,

सुखे कुएँ तुम्हारा इम्तहान बाकी है...

बादलों बरस जाना समय पर इस बार

किसी का मकान गिरवी तो किसी का लगान बाकी है।

उपर्युक्त कथन किसानों की फसल उत्पादन के दौरान सामाना की जाने वाली सबसे बड़ी समस्या सिंचाई का वर्णन करती है। भारत का लगभग 60% क्षेत्र वर्षा सिंचित क्षेत्र है जो किसान को सिंचाई के लिए इंद्रदेव की प्रसन्नता पर निर्भर रहने हेतु विवश करता है। दूसरी समस्या कीट आक्रमणों व खरपतवार की है जो किसान की फसल नाश करने में बड़ी क्षमता रखती है।

जैसे-तैसे करके किसान फसल उत्पादन कर लें तो एक समस्या जो मुँह बाये खड़ी रहती है वो है विपणन की। MSP का निर्धारण व वितरण से दोष, विचौलियों की संख्या, भण्डारण अभाव, APMC द्वारा शोषण, आदि ऐसे कारण है जिससे किसानों को उनका उचित मुल्य नही मिल पाता है। अंतत: मन में यही ख्याल आता है-

करोड़ो में बिकते हैं क्रिकेट के खिलाड़ी,

काश ! किसानों की फसल का भी कोई IPL होता।

उपर्युक्त समस्याओं के लिए सरकार द्वारा स्वतंत्रता से ही कई प्रयास किए गए हैं। यथा भूमि सुधार (रैयतवाड़ी जैसी प्रथा अंत, काश्तकारी सुधार, लीजिंग), सब्सिडी, किसान क्रेडीट कार्ड, हरित क्रांति। इसके अतिरिक्त विपणन के लिए। APMC एक्ट, MSP प्रदान करना, FCI द्वारा बफर निर्माण व खरीद इत्यादि।

किसानों की स्थिति में सुधार के लिए कई योजनाएँ भी चलाई गई यथा एकीकृत जल प्रबंधन, कमाण्ड एरिया डवलपमेंट, कृषि सिचाई योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, मनरेगा, बीस सूत्री कार्यक्रम, PM किसान, PM आशाह, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, हर खेत को पानी इत्यादि।

इन योजनाओं के प्रयास किसानों की स्थिति मे कोई मामूली सा सुधार हुआ है और यह कहना भी गलत नही होगा कि किसानों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। करोड़ों खर्च करने के बाद भी सुधार परिलक्षित न हो पाना यह इंगित करता है कि हमें कुछ नया अपनाना होगा।

वक्त आ गया है कि जब हर क्षेत्र मे नवाचार अपनाएँ जा रहे है तो कृषि मे भी नवाचारों का समावेशन हो।

वर्तमान मे अशोक दलवई समिति ने भी नवचारों की भूमिका का समर्थन किया है। अत: सवाल उठता है कि नवाचार कैसी हो? जवाब

यह कि जिस तरह समस्याएँ सभी स्तर पर विद्यमान है तो आवश्यकता है कि नवाचार भी सभी स्तरों हो ''चाहे वो मनोविज्ञानिक स्तर पर हो या क्रियान्वयन स्तर पर, उत्पादन स्तर पर हो अथवा भण्डारण या वितरण स्तर पर, स्थानीय नीति में या राष्ट्रीय स्तर पर, आपदा को रोकने हो या आपदा प्रभाव करने मे'' इन सभी स्तरों पर नवाचार अपनाकर किसान उद्धार किया जा सकता है।

मनौवैज्ञानिक स्तर की बात करें तो खेती के प्रति लोगों के रवैये बदलने की आवश्यकता है। नीतियों मे किसानों के लिए ''लघु + सीमांत, मध्यम, बड़े'' जैसे शब्दों के स्थान पर ''आकांक्षी, मेहनती सुव्यवस्थित'' जैसे शब्दों के प्रयोग की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त युवाओं को कृषि में आकर्षित करना भी जरूरी है ताकि कृषि में नवाचार बढ़ावा मिले। इसके लिए कृषि सम्बन्धी स्टारी अप, युवा सहकर योजना, बिल्व विश्वविद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम नवाचार, वार्षिक सम्मेलन जैसे नवाचारों की आवश्यकता है।

वर्तमान मे भारत में लगभग 86% किसान लघु व सीमांत है वहीं इनका कृषि भूमि में योगदान लगभग 40% है। अत: जोत आकार छोटा होने के कारण हमे ऐसी पद्धति अपनानी होगी जिससे उत्पादन बढ़ सके। इसके लिए संविदा कृषि, जीरो बजट नेचूरल फार्मिंग, जैविक खेती, लीजिंग, जैसे उपाय लाभदायक साबित हो सकते हैं।

बीज की गुणवता के लिए लिए GM फसल, अमृत बीज, जैसे तकनीक अपनाने की आवश्यकता है।

सिंचाई की उपलब्धता के लिए नदी जोड़ो परियोजना पर **''क्रॉप मोर ड्रॉप''**, फव्वारा व ड्रिप इरीगेशन तथा इजरायल के नवाचारों से सीख लेने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त वृषा सिंचित क्षेत्रों मे मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि इनके उत्पादन में सिंचाई की अधिक आवश्यकता नहीं होती। इन्हें बढ़ावा देने लिए मोटे अनाजों के लिए MSP, बीज गुणवत्ता बढ़ाने की आवश्यकता है।

खरपतवार, मृदा उर्वरता कमी, कीटनाशक प्रयोग में जागरुकता जरूटी है। किसानों को N : P : K के उचित अनुपात के बारे में जागरूकता को प्रदान कर, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ड्रोन सुदूर संवेदन प्रयोग, कृषि एटलस, कीटनाशक के प्रतिरोधी फसल (GM) जैसे उपाय अपनाकर इस क्षेत्रों में नवाचारों को लागू किया जा सकता है तथा यह किसानों के उदार में हो सकता है क्योंकि सहायक साबित हो सकता है क्योंकि-

''हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है।''

विपणन स्तर पर नवाचार की बात करें तो आवश्यकता है कि किसानों के लिए स्थानीय ही नही पूरे देश का बाजार हो तथा उसकी पहुँच विदेशी बाजार तक भी बने। इसके लिए e-NAM, मॉडल APLM, Grams, कृषि निर्यात विविधकरण (बास्केट विविकिरण व विविधकरण) जैसे कदमों को बढ़ावा गन्तव्य देना चाहिए। इसके साथ ही किसानों की पहुंच जाय प्रसंस्करण उद्योग, भण्डारन गृह, शीतलन (कोल्ड स्टोरेज), उचित परिवहन, वेयरहाउस, इसे फाइटो जेनेटरी मानक, तकनीक, तक होनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त कृषि में तकनीकी प्रवेश यथा परिशुद्ध कृषि, PPP मॉडल हैप्पीसीडर, एग्रोइकोनमी डिजाइन, AI, कृत्रिम वृष्मिता, मशीन लर्निंग, प्रिसिजन फार्मिंग जैसे उपाय अपनाने की आवश्यक है।

वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के प्रति कृषि सहनशीलता बढाने के लिए 'क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर', 'सरफेस व सब सरफेस सिंचाई' सतत कृषि, पारम्परिक जल संरक्षण यथा बावड़ी, जोहड़, आहर-पाइन, राष्ट्रीय सतत कृषि अभियान (NMSA) जैसे मानक अपनाने की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त राजनीतिक स्तर पर भी नवाचार आवश्यक है जेन्डर बजरंग के तर्ज पर कृषि बजटिंग, ऋण माफी जैसे लोक लुभावन उपागम के स्थान पर दीर्घकालिक अवसंरचना विकास, नीति निर्माण में किसान हितु, कृषि के नारीकरण को सहायता व ऋण, कृषि संघवाद अपनाया जाना चाहिए ताकि कृषि मे राज्य-केन्द्र समन्वय से कार्य कर सके।

मीडीया, फिल्मों, सोशल मीडीया पर किसान संबंधी प्रोग्राम, किसान सम्मान कार्यक्रम व फिल्म, फिल्मों में दयनीय स्थिति हो मजबूत स्थिति स्थानातरण, जागरुकता, किसान कॉल सेंटर, कृषि विज्ञान केन्द्र (KVK) जैसे कदम उठाए जा सकते है।

इस प्रकार जागरुकता फैलाकर व नवाचार अपनाकर अन्नदाता का उद्धार किया जा सकता है। फिर वह दिन दूर नही होगा जब किसानों की दुगनी-तिगुनी आय व उदार एक कोरी कल्पना न होकर वास्तविकता होगी। कृषि क्षेत्र भी सेवा क्षेत्र की तरह प्रगति करेगा। इस तरह से अभाव नवाचार व समग्र स्तर प्रयास से कि मन्नदाता का सशक्तिकरण होगा और पुरा देश शास्त्रीजी के नारे से गुंजायमान होगा-

''जय जवान , जय किसान''

❑❑❑